

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 39/2017

RCMS No. : 2017/00287

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. जीवाराम पुत्र कानाराम कुमावत(मालिक) मैसर्स गणपति एजेन्सी, मैन मार्केट सुमेरपुर जिला पाली 2. जुगलकिशोर भाटी मैसर्स श्री किशन जगदीश भाटी 7 मण्डौर मण्डी जोधपुर 3. श्री मुकेश रामाकान्त मिश्रा मैसर्स श्री यश डेयरी प्रोडक्स बिल्डिंग नम्बर 07 गली नम्बर 13 जय विजय इण्डस्ट्रीयल स्टेट एनएच रोड नम्बर 8 बापाने नया गांव(पूर्व)ता वसाई जिला टाणे महाराष्ट्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी

—: निर्णय :-

दिनांक :- 17-7-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित था। दिनांक 03.11.2015 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म मैसर्स गणपति एजेन्सी मैन मार्केट सुमेरपुर जिला पाली पर गया, वहां पर अप्रार्थी जीवाराम पुत्र कानाजी कुमावत (मालिक एवं विक्रेता) उपस्थित मिला, जो आमजन को गाय का घी (ब्राण्ड श्री यश) विक्रय कर रहा था। प्रार्थी ने अपना परिचय दिया तथा परिचय पत्र दिखाया और बताया कि मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हूँ। अप्रार्थी जीवाराम ने बताया कि वह फर्म मालिक है। अप्रार्थी की उपस्थिति में फर्म का निरीक्षण करने पर मौके पर घी (ब्राण्ड श्री यश) के 5 कार्टून पड़े हुए थे। प्रत्येक कार्टून में 500 ग्राम घी रखा हुआ था जिनमें गिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया व प्रपत्र 5ए की दूसरी प्रति पर रसीद प्राप्त कर गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए। प्रपत्र 5ए देने से पहले अप्रार्थी को यह बता दिया था कि गाय का घी (ब्राण्ड श्री यश) का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जांच हेतु ले रहा हूँ। प्रार्थी ने मालिक व गवाहान की उपस्थिति में 4 मूल पैकेट वास्ते जांच हेतु क्व किया तथा उसका मूल्य 640/- रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी अप्रार्थी व गवाह के हस्ताक्षर हैं। उक्त क्रयसुदा घी (ब्राण्ड श्री यश) को चारो नमूना पैकेट पर लेबल लगाकर कोड व सिरियल नम्बर आर-409 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा प्रार्थी स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये। नियमानुसार नमूना लेकर चारो सीलबन्द नमूना जार को अपने जाब्ले में लिया। मौके पर बिल क्रमांक 5275 दिनांक 6.10.2015 मैसर्स श्री किशन जगदीश भाटी मण्डौर मण्डी जोधपुर के बिल की प्रति पेश की। प्रार्थी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होंने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त सभी कार्यवाही मैंने गवाह व अप्रार्थी के सामने मौके पर ही की। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमूना सील लगाई। एक नमूना जार मय फार्म नम्बर 6 की प्रति



(Handwritten signature)

प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा
पाली (राज.)

लिफाफे में बन्द कर सील गोहर करके कार्यालय के कार्मिक श्री किशोर कुमार पाण्डे के द्वारा दिनांक 4.11.2015 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस./884/एक्ट/2015/965 दिनांक 10.12.2015 के अनुसार मेरे द्वारा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी (ब्राण्ड श्री यश) के नमूने को Mis Branded पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Mis Branded घी (ब्राण्ड श्री यश) का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म पर की गई कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों अनुसार नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिथ्याछाप नहीं लगाई जाती है जिस अवस्था में घी प्राप्त होता है उसी अवस्था में उसे विक्रय करता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थीगण को राहत प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 03.11.2015 को दौराने गस्त अप्रार्थी की फर्म पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी संख्या 01 जीवाराम (मालिक) उपस्थित मिला। प्रार्थी ने अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा अप्रार्थी व गवाह की उपस्थिति में अप्रार्थी की फर्म से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा आमजन को बिक्री हेतु रखे घी(ब्राण्ड श्री यश) को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-409 अंकित कर सीलबन्द किया गया एवं नियमानुसार विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नमूना वास्ते जांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./884/एक्ट/2015/965 दिनांक 10.12.2015 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-409 को Misbrand under section 3(1)(zf)(A)(i) and 3(1)(zf)(B)(ii) of Food Safety and Standards Act-2006 के तहत पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ घी (ब्राण्ड श्री यश) मिथ्याछाप (Misbranded) का उत्पादन विनियम एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 30,000/- अक्षरे तीस हजार रुपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 02 पर 30,000/- अक्षरे तीस हजार रुपये मात्र एवं अप्रार्थी संख्या 03 पर 40,000/- चालिस हजार रुपये मात्र कुल रुपये 1,00,000/- एक लाख मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थीगण से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वारते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभाज सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 17-7-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभाज सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली